भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1156

दिनांक 03.03.2015/12 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस सत्यापन

†1156. डॉ0 संजय जायसवाल

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि देश में पुलिस सत्यापन का केन्द्रीकरण या राष्ट्रीय डाटाबेस नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का केन्द्रीकृत डिजीटलीकृत डाटाबेस आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है जिसे अपराध-संबंधी सूचना का पता लगाने के लिए केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय एजेंसयों से उपयुक्त रुप से जोड़ा जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख): जी, हां। इस समय देश में पुलिस सत्यापन का केन्द्रीयकरण अथवा राष्ट्रीय डाटाबेस नहीं किया गया है।

(ग) और (घ): जी, हां। सरकार ने अपराध से संबंधित सूचना का पता लगाने के लिए राज्य डाटाबेसों को जोड़ने के उद्देश्य से अपराध एवं अपराधी का पता लगाने संबंधी प्रणाली (सीसीटीएनएस) का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

****